



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

विष्णु
 इन्द्र
 अश्विनी
 अश्विनी

मुगावाबाद
मुगावाबाद
181350030144190
042183036493

जारी दिनांक: 18/09/2018

प्रमाणित किया जाता है कि
पुस्तक/पुत्री
नामा का नाम
निवासी
घर
गाव/बीज
जिला

शु. तपस्व
पी कबीर नागिर
कीमती जेहा गरवीम *
जामा मन्निख गारवी नगर सभी में 2

भुराबाबाद
बरादाबाद



(पर प्रदेश राज्य की मोमिन (अंश) जाति के अधिकारी। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातिधो, अनुसूचित जन जातिधो तथा अन्य सेवाधो वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम १९५४ की अनुसूची एकके अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु. लम्बाया पुरीक अधिनियम १९५४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातिधो, अनुसूचित जनजातिधो और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो ०५० लोक सेवा अनुसूचित जातिधो, अनुसूचित जनजातिधो और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं आसमादक संख्या 22/16/92 टी० सी०-411, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से सम्बन्धित है।) हेतुका-पिना की निम्नलिखित सीमा वर्गो की अवधि के निम्ने प्रकार वर्णित किया जात जात नाथ अपने का हमने अधिक नहीं है तथा इनके पास एक कर अधिनियम १९५० से तथा विधि धर सीमा से अधिक उपयोग नहीं है।



AWANEESH
KUMAR
SINGH

Digitally signed by
TAMAZESSH KUMAR
DN: cn=REVENUE,
c=IN, o=TAMAZESSH
KUMAR
serial=33333333

सहय अधिकारी/तहसीलदार
दिविगत हस्ताक्षरित
मुरादाबाद, मुरादाबाद
दिनांक: 18/09/201

यह प्रस्ताव एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिगनेचर द्वारा तैयार किया गया है। उक्त डिजिटल सिगनेचर से प्रमाणित है कि यह आवेदन द्वारा भर्ती की सीट पर आवेदक के नाम से दाखल किया गया है। यह प्रस्ताव एक वेबसाइट <http://admission.up.nic.in> पर इसका चालू आवेदन # **1** और प्रमाणपत्र # **2** के माध्यम से प्रमाणित किया जा सकता है।